न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या –312/2022
जी0सी0एम0एस0 पोर्टल नम्बर – 2022/412

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामदेव पुत्र आईदानराम, जाति–जाट निवासी–गोटन,तहसील–मेड़ता,जिला–नागौर		1. रामदेव पुत्र हरचन्द जाति जाट 2. दिनेश मातवा पुत्र रामजीवन जाति जाट 3. नरेन्द्र मातवा पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट 4. रामकिशोर पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासीगण मातवो की ढाणी, गोटन तहसील मेड़ता जिला नागौर 5. तहसीलदार, मेड़ता

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री ठाकुर प्रसाद राठी।
3. अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

निर्णय **दिनांक :–24.01.2024**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20(2) के तहत नियमन सलाहकार समिति,मेड़ता द्वारा प्रकरण संख्या 576/75 में पारित आदेश दिनांक 30.05.1976 से मौजा गोटन के खसरा नम्बर 1252 रकबा 1 बीघा2बिस्वा भूमि अप्रार्थी रामदेव पुत्र हरचन्द कौम जाट साकिन गोटन को नियमन की हैं के विरूद्ध दिनांक 21.09.2022 को प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 द्वारा दिनांक 29.03.2023 को जबाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को एवं उनके द्वारा पेश की गई लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुवे प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं। जबकि विद्वान वकील गैर सायल द्वारा जबाब प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को एवं उनके द्वारा पेश की गई लिखित बहस के तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.09.2023 को प्रस्तुत लिखित बहस में यह तथ्य प्रकट किये हैं : कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर तहसीलदार जी मेड़ता ने अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट का प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किए। दिनांक 10.9.1975 को तहसीलदार जी मेड़ता ने नियमन की सिफारिश करते हुवे पत्रावली नियमन कमेटी को उचित कार्यवाही हेतु एस.डी.ओ. मेड़ता को प्रेषित कर दी। तत्पश्चात् दिनांक 30.5.1976 को सलाहकार समिति ने अप्रार्थी सं. 1 के हक में मौजा गोटन स्थित खसरा नं. 1952 रकबा 1.2 बीघा नियमन किये जाने का आदेश पारित किया। जिस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है। सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में उक्त नियमन राज. भू राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत किया गया है किन्तु सलाहकार समिति ने उक्त नियम –1970 में दिए गऐ आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बगैर नियमन आदेश पारित किया है। इसके अलावा सलाहकार समिति द्वारा नियम 1970 की धारा 7 व 8 की पालना किए बगैर उक्त आदेश पारित किया है उक्त आदेश पारित करने से पूर्व सलाहकार समिति द्वारा किसी

कलक्टर नागौर

प्रकार की कोई उदघोषणा प्रारूप 2 के तहत जारी नहीं की गई। न ही प्रारूप 3 के तहत कोई आवेदन लिया गया। इस प्रकार बिना विधि प्रक्रिया अपनाये गैर खातेदार के रूप में अप्रार्थी सं. 1 का जो भूमि आवंटन/नियमन का आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। राज. भू राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 11 के अनुसार कृषि भूमि का नियमन उन्ही व्यक्तियों को किया जा सकता है जो भूमिहीन काश्तकार हो व राजकीय कर्मचारी न हो किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वक्त नियमन/आवंटन अप्रार्थी सं. 1 राजकीय कर्मचारी (अध्यापक) में था, साथ ही भूमिहीन काश्तकार भी नहीं था, जो तथ्य आवेदन के साथ संलग्न जमाबंदियों से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में राज. भू राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम–11 के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 नियमन की पात्रता नहीं रखने के बावजूद भी सलाहकार समिति ने नियमन आदेश पारित किया है। राज. भू राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 20 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बिना जो आवंटन/नियमन आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। वक्त नियमन विवादित खसरा नं. 1252 रकबा 1.2 बीघा पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा काश्त ही नहीं था, न ही उसके बाद भी मौके पर कभी रहा। अप्रार्थी सं. 1 का खसरा नं. 1252 में संवत् 2017 से काश्त दर्ज ही नहीं है। इसके अलावा तहसीलदार जी ने धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत अप्रार्थी सं. 1 का संवत् 2017 से कब्जा मानकर नियमन की सिफारिश के साथ प्रकरण नियमन कमेटी को प्रेषित कर दिया, जबकि प्रार्थी द्वारा तत्समय की गिरदावरियां पेश की गई है उन गिरदावरियों में भी अप्रार्थी सं.1 का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में वक्त आवंटन अप्रार्थी सं. 1 का विवादित भूमि पर कब्जा ही नहीं था। मात्र संवत 2031 की गिरदावरी में प्रथम बार अप्रार्थी सं. 1 रामदेव का नाम जरूर अंकित है किन्तु उस वर्ष भी खसरा नं. 1252 में काश्त अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे काश्त के ही जो आवंटन आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

यह भी तथ्य प्रकट किये हैं कि तहसीलदार जी ने विवादित खसरा नं. 1252 अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी के खेत खसरा नं. 1283 के चिपता हुवा मानकर व छोटी पट्टी मानकर नियमन की सिफारिश की, जबकि 1283 जो कि अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी का खेत है उसके चिपते मात्र 12 बिस्वा भूमि ही आती है जबकि अप्रार्थी सं. 1 को 1.2 बीघा भूमि नियमन कर दी गई। इसके अलावा वक्त नियमन अप्रार्थी सं. 1 भूमिहीन काश्तकार भी नहीं था, बल्कि उक्त विवादित खसरा नं. 1252 के पास ही उसकी स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1283 रकबा 16.10 बीघा मौजूद है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में भी नहीं आता। फिर भी नियमन कमेटी ने जो आदेश पारित किया है वह अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी की ओर से जो जवाब पेश किया गया है उसमें मुख्य आपत्ति यह ली गई है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 20 में गलत पेश किया गया है जबकि आवेदन 14 (4) में पेश किया जाना चाहिए। जबकि राज. भू राजस्व अधिनियम 1970 की धारा 20 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि उक्त नियम के तहत अतिचारियों के लिए भूमि आवंटन की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी रामदेव का कब्जा भी बतौर अतिक्रमी का था, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी रामदेव के हक में सलाहकार समिति मेड़ता द्वारा जो आवंटन किया गया है वह नियम 20 के तहत ही किया गया है इसके अलावा अप्रार्थी की ओर से यह कथन भी जवाब में लिया गया है कि अप्रार्थी को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के तहत भूमि आवंटित की गई थी किन्तु ऐसी भूमि तभी आवंटित की जा सकती है, तब आवंटन किए जाने के संबंध में उस पक्षकार द्वारा आवेदन किया गया हो। किन्तु अप्रार्थी रामदेव द्वारा स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के संबंध में कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय (सलाहकार समिति) मेड़ता अथवा तहसीलदार मेड़ता को नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अप्रार्थी रामदेव को भूमि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड में आंवटित की गई हो। न ही ऐसा कोई उल्लेख सलाहकार समिति द्वारा पारित आंवटन आदेश में किया गया है। इस कारण भी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 30.05.1976 निरस्त किए जाने योग्य है। राज. कृषि भूमि आंवटन अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन के अधिकार का नियम यह है कि सबसे पहले उन व्यक्तियों को जमीन दी जाये, जिनके पास एक इंच भूमि भी नहीं है। किन्तु वक्त आंवटन अप्रार्थी रामदेव स्वंय की खातेदारी में 16.10 बीघा भूमि मौजूद थी। उक्त अधिनियम के नियम 20 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में 15 बीघा भूमि से अधिक भूमि हो तो ऐसी स्थिति में उसको भूमि का आंवटन/नियमन नहीं किया जा सकता। इस कारण भी अप्रार्थी के पक्ष में पारित आंवटन आदेश दिनांक 30.05.1976 निरस्त किये जाने योग्य होने के तथ्य प्रकट करते हुए माफिक ईस्तदुआ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रकरण संख्या 576/1975 में पारित आंवटन आदेश दिनांक 30.05.1976 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

कलक्टर नागौर

विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1992 पेज 266,आर.आर.डी.1992 पेज 269,आर.आर.टी. 2002(1) पेज 91,आर.आर.टी. 2002(1) पेज 162 की नजीरे पेश की हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस दिनांक 13.09.2023 को पेश कर लिखित बहस में यह तथ्य प्रकट किये हैं कि उक्त प्रकरण में 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत चली कार्रवाई में नियमन हेतु मामला निमयन कमेटी के पास भेजा गया है, जिनके द्वारा नियमन किया गया है, जिसके लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत ही अपील का प्रावधान है। इस प्रकार से कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से उक्त प्रार्थना विधि द्वारा संधार्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 101 में कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है तथा इसी धारा में आवंटन संबंधी नियम बनाये गये है। ऐसी स्थिति में धारा 101 के तहत बने नियमों में कोई आवंटन हुआ है, तो उसको चुनौती केवल मात्र धारा 75 आरएलआरएक्ट के तहत ही दी जा सकती है अन्यथा नहीं। इस प्रकार उक्त आवेदन पत्र इस विधिक आपत्ति के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र नियम 20 (2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया है। वस्तुतः उक्त नियम के अंतर्गत भूमि आवंटन/नियमन की जाती है। प्रथमतः उक्त नियम के तहत आवंटन/ नियमन को चुनौती देने का कोई प्रावधान नहीं है। दोयम उक्त नियम के अन्तर्गत केवल मात्र कपट एवं दुर्व्यपदेशन के आधार पर ही किसी आवंटन को चुनौती दी जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई आधार नही है। जिसमें उक्त नियमन के संबंध में अप्रार्थी सं. 1 ने कपट एवं दुर्व्यपदेशन किया हो। इस प्रकार से प्रार्थी का उक्त आवेदन पत्र विधि अनुसार माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं होने के कारण इस आधार पर उक्त आवेदन पत्र खारिज किए जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में खसरा नं. 1252 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। इस प्रकार से खातेदारी दर्ज होने के पश्चात कोई इस प्रकार की कार्यवाही धारा 20 (2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत नही की जा सकती। प्रार्थी ने नियमन आदेश दिनांक 30.05.1976 को करीबन 46 वर्ष पश्चात् चुनौती दी है। जबकि, ऐसा करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। उक्त आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया मयाद बाहर होने के कारण इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त उक्त आवेदन पत्र 46 वर्ष पश्चात् पेश किया गया है, जो अत्यधिक विलम्ब कारित करने वाला आवेदन पत्र है, जिस पर कतई सुनवाई नहीं की जा सकती। आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया अत्यधिक विलम्ब का होने के आधार पर प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है फिर भी उक्त आवेदन पत्र के विलम्ब के संबंध में कोई धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र पेश नहीं हुआ है। इस आधार पर उक्त आवेदन पत्र खारीज किये जाने योग्य हैं। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 के नाम जो नियमन हुआ है, उक्त नियमन की वास्तविक स्थिति यह है कि गत खसरा नं. 1252 का कुल क्षेत्रफल 2 बीघा 2 बिस्वा था। चूंकि, उक्त भूमि दो भागों में विभाजित होकर रकबा 1बीघा 2 बिस्वा भूमि गत खसरा नं. 1283 जो अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी कब्जे काश्त का है, के शामिल थी तथा शेष रकबा 1 बीघा गत खसरा नं. 1253 जो श्री किशोरसिंह के खातेदारी कब्जे काश्त में है, में शामिल थी। चूंकि, गत खसरा नं. 1283 के कुल रकबे में उक्त गत खसरा नं. 1252 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि सम्मिलित होनी चाहिए थी, परंतु राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूलवश एवं हुई सद्भाविक त्रुटि के कारण उक्त भूमि गत खसरा नं. 1283के कुल रकबे में शामिल नहीं की जा सकी, परंतु कब्जा काश्त इसी खसरा नं. 1283 के तत्कालीन खातेदारों का उक्त नियमन की गई भूमि पर रहता चला आ रहा था, चूंकि उक्त रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 को दी जानी थी, इसलिए उक्त खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 को दिए जाने के लिए उक्त नियमों के तहत नियमन किया गया है। सच्चे अर्थों में उक्त नियमन केवल मात्र खसरा नं. 1283 के कुल रकबे में उक्त गत खसरा नं. 1252 का रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण से नियमन की कार्यवाही करके अप्रार्थी सं. 1 को खातेदारी अधिकार दिए गए थे। इसी प्रकार से गत खसरा नं. 1252 का रकबा 1 बीघा की खातेदारी पड़ोसी गत खसरा नं. 1253 के खातेदार श्री किशोरसिंह के हक में नियमन करके उसको खातेदारी दी गई। उक्त भूमि जिसके गत खसरा नं. 1252 जिसके नए खसरा नं. 624 है, उक्त भूमि शुरू से ही अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि जिसके गत खसरा नं. 1283 जिसके वर्तमान खसरा नं. 672 है के एकदम चिपती हुई एक ही चक में आई हुई होने से उक्त नियमन किए गए खसरा पर एक ही शामिल रहकर अप्रार्थी सं. 1 का कदीम से शांतिपूर्ण निर्बाध कब्जा काश्त रहता चला आया है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 अतिक्रमी नहीं बल्कि खातेदार काबिज काश्तकार की हैसियत से काबिज रहा है। इस संबंध में बने हुए नियमों एवं जारी

कलक्टर नागौर

परिपत्रों के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 का मामला कवर्ड होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 के हक में विधि अनुसार नियमन होकर खातेदारी अधिकारों की पूर्ति हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रक्रिया की भूल नहीं हुई है एवं न ही किसी विधि का उल्लंघन हुआ है।

लिखित बहस में यह भी तथ्य प्रकट किये हैं कि गत खसरा नं. 1252 का रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नं. 624 रकबा 0.1900 हैक्टेयर है। उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पृथक–पृथक पंजीबद्ध बक्शीशनामों के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 से 4 के हक में बक्शीश कर दी गई है, तत्पश्चात् उक्त बक्शीशनामों के आधार पर नामांतरणकरण भरे जाकर मौके पर तरमीम कर दी गई है। जिनके वर्तमान खसरा नं. 2953/624 रकबा 0.0440 हैक्टेयर जो अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में, खसरा नं. 2954/624 रकबा 0.0560 हैक्टेयर जो अप्रार्थी सं. 3 व 4 की खातेदारी में एवं खसरा नं. 2955/624 रकबा 0.0900 हैक्टेयर जो अप्रार्थी सं. 2 से 4 की खातेदारी में दर्ज है। चूंकि, प्रार्थी ने उक्त पंजीबद्ध बक्शीशनामों एवं भरे गए नामान्तरणकरणों को आज दिन तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए इस आधार पर उक्त कार्यवाही खारिज किए जाने योग्य है। लिखित बहस की मद सं. 7 में वर्णितानुसार स्थिति का अगर विश्लेषण करे तो यह तथ्य भी सामने आता है कि अगर अप्रार्थी सं. 1 को बकौल प्रार्थी के कोई आवंटन किया जाता तो 10 बीघा या 20 बीघा का आवंटन होता, इस प्रकार से 1 बीघा 2 बिस्वा जैसी तुच्छ रकबे का कतई आवंटन नहीं होता। वस्तुतः उक्त 1 बीघा 2 बिस्वा उपरोक्त वर्णितानुसार केवल मात्र खातेदारी देने से शेष रह गई भूमि थी, जिसका नियमन करके खातेदारी देने की प्रक्रिया पूरी की गई है। पंजीबद्ध बक्सीसनामों को केवल मात्र विनिर्दिष्टतः अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत ही दिवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसी चुनौती दिये बिना ऐसा कोई आवेदन पत्र नहीं चल सकता है। इस आधार पर उक्त आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को इस प्रकार से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का क्या व्यक्तिगत अधिकार बनता है। यह भी साबित नही हो रहा है। इस प्रकार से उक्त आवेदन पत्र बिना सक्षम व्यक्ति द्वारा पेश किया हुआ होने के कारण से इस आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में उक्त नियमों की क्या अवहेलना हुई है तथा अप्रार्थी सं. 1 ने क्या कपट एवं दुर्व्यपदेशन किया है। यह कही पर भी न तो साबित होता है और न ही ऐसा प्रार्थी पक्ष की ओर से अभिवचित किया गया है। प्रार्थी की मंशा गलत रूप से उक्त आवेदन पत्र पेश करने की रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण पर खसरा नं. 1253 पर कब्जा करना बताया है, जबकि हम अप्रार्थीगण का खसरा नं. 1253 पर कोई कब्जा नहीं है। खसरा नं. 1253 तो किशोर सिंह राजपूत का है। प्रार्थी ने हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध जानबूझकर पूर्वागृह से ग्रसित होकर उक्त आवेदन पत्र पेश किया है। जबकि उसी समय किशोर सिंह के नाम से भी आवंटन हुआ था। उस आवंटन को प्रार्थी ने कही पर भी कोई चुनौती नही दी है। उक्त प्रकरण में प्रथमतः जो नियमन हुआ है वह नियमन तो अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की रही कृषि भूमि रकबा 1 बीघा 2 बीस्वा का हुआ है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 के राजकीय सेवारत रहने या न रहने का नियमन पर कोई असर नही पड़ता है। दोयम नियमन के समय अप्रार्थी सं. 1 राजकीय सेवारत व्यक्ति था। यह तथ्य प्रार्थी साबित नहीं कर पाया है। सोयम अगर अप्रार्थी सं. 1 को राजकीय सेवारत व्यक्ति माना भी जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या काश्तकार नही हो सकता तथा ऐसा कपट एवं दुर्व्यपदेशन की परिभाषा में भी नहीं आता है तथा 46 वर्ष पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाना कतई विधि अनुसार न तो न्यायोचित है एवं न ही सुसंगत है। जो भूमि आंवटन की गयी वह भी उक्त भूमि अन्य भूमिहीन या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को आंवटन योग्य नहीं थी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को आंवटित की गई।

उक्त आवेदन पत्र निरस्त होने योग्य है एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपनी लिखित बहस की पुष्टी में न्यायिक विनिश्चत पेश किये जा रहे है। जिनका विश्लेषण निम्नानुसार किया जा रहा है :–

(A) कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970में नियमन के प्रावधान नियम 14 (4) व नियम 20 में बताये गये है,जो दोनों प्रावधान नियमन एवं आवंटन से संबंधित है। इसलिये नियम 14 (4) के अंतर्गत जो न्यायिक विनिश्चय है। वे न्यायिक विनिश्चय नियम 20 में भी लागू होते है। इस संबंध में निम्न न्यायिक विनिश्चय है :–

1. आरआरडी 2013 पेज 456 के प्रकरण में सरकारी कर्मचारी के हक में हुए अलॉटमेंट जो 40 साल बाद चुनौती दी गई। उक्त अलॉटमेंट को सही माना तथा ऐसी चुनौती को खारिज किया गया। (यहां पर यह कथन करना प्रासंगिक रहेगा कि नियम 1970 के नियम 11 का उल्लंघन उक्त हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने बताया है इस प्रकार से नियम 11, नियम 14 (4) व नियम 20

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

पर समान रूप से लागू होता है। इसलिये उक्त न्यायिक विनिश्चय अप्रार्थीगण के प्रकरण में हुबहु लागू होता है।)

2. आरआरडी 2001 पेज 206 किसी माइनर के नाम से आवंटन को 25 साल बाद चुनौती देना कतई न्यायोचित नही है।
3. आरबीजे 2009 पेज 258 के प्रकरण में आवंटन को 32 साल बाद चुनौती दी गई जो किसी प्रकार से न्यायमूर्त नही है।
4. आरआरडी 2001 पेज 441 किसी व्यक्ति द्वारा भूमि को पोषित कर देना और ऐसी भूमि के संबंध में 30 वर्ष पश्चात इस प्रकार से आवंटन को चुनौती देना गलत है।
5. आरआरडी 2001 पेज 184 किसी आवंटी का 60 वर्षों तक कब्जा रहना और ऐसे कब्जे का इस प्रकार से आवंटन को चुनौती देकर डिस्टर्ब करना कतई उचित नहीं है।
6. आरबीजे 2007 पेज 687
7. आरआरडी 2008 पेज 825 आवंटन के मामले में निगरानी मेन्टेनेबल नही है तथा इसके लिये आरएए में अपील की जा सकती है।
8. आरआरडी 2011 पेज 65991 की कार्यवाही में व आवंटन को इस प्रकार से निरस्त नही किया जा सकता।
9. डीएनजे 2007 पार्ट 1 राजस्थान पेज 231 पक्षकार अगर एक दूसरे के खातेदारी अधिकारों को विवादित कर रहे है तो उसके लिये घोषणा का दावा आ सकता है। इस प्रकार से आवंटन निरस्ती का आवेदन पत्र नही है।
10. आरआरडी 1982 पेज 65 अपील ही होगी।
11. आरआरडी 1982 पेज 443 अपील ही होगी।
12. आरआरडी 1982 पेज 584 अपील ही होगी।
13. आरआरडी 1984 पेज 439 अपील ही होगी।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वकील उभय पक्षकारान की मौखिक बहस एवं उनके द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस का अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि पूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार,मेड़ता की प्राप्त पत्रावली संख्या 576/1975 निर्णय 30.05.1976 का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का,गोटन द्वारा तहसीलदार,मेड़ता को इस आशय की रिपोर्ट पेश की हैं कि श्री रामदेव पुत्र हरचन्द जाति–जाट,निवासी–गोठन के ख0नं0 1252 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा किस्म भूमि बारानी 2प्लस पर सम्वत् 2031 पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा हैं। नायब तहसीलदार,मेड़ता द्वारा पटवारी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में प्रकरण संख्या 576/75 दिनांक 13.08.75 को दर्ज किया तथा गैर सायल को नोटिस जारी किया हैं। बाद सुनवाई नायब तहसीलदार,मेड़ता ने आदेशिका दिनांक 10.09.1975 से अतिक्रमित रकबे को गैर सायल के पक्ष में नियमन किया जाना उचित अंकित करते हुवे मूल पत्रावली उचित माध्यम से नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने हेतु उपखण्ड अधिकारी,मेड़ता को प्रेषित की हैं। दिनांक 30.05.76 को भूमि नियमन सलाहकार समिति की बैठक में सर्व सम्मति से माफिक रिपोर्ट तहसीलदार,मेड़ता मौजा गोटन में खसरा नम्बर 1252 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किस्म जमीन बारानी II प्लस अप्रार्थी रामेदव पुत्र हरचन्द कौम जाट साकिन गोटन के कायम की जाती हैं का आदेश दिया हैं।

उपरोक्त पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि गैर सायल रामदेव पुत्र हरचन्द कौम जाट को जो यह भूमि नियमन की गई हैं। इस प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन(नियम 1970 के नियमों में परिभाषित करने के लिए निम्न प्रक्रिया के तहत देखा जाना हैं।

(1) क्या गैर सायल को यह भूमि इन नियमों के नियम 7 के तहत विधिक आवंटित हुई हैं?
(2) क्या गैर सायल को यह भूमि इन नियमों के नियम 19 के तहत विधिक आवंटित हुई हैं?
(3) क्या गैर सायल को यह भूमि नियम 20 अतिचारियों के लिय भूमि आवंटन के तहत विधिक आवंटित हुई हैं?

(1)– प्रस्तुत प्रकरण में सर्व प्रथम बिन्दू संख्या 01 नियम 7 के तहत कानूनी समीक्षा की जानी उचित प्रतीत होती हैं। प्रस्तुत प्रकरण में प्राप्त राजस्व रेकार्ड अनुसार नायब तहसीलदार,मेड़ता के समक्ष पटवारी हल्का,गोटन द्वारा गैर सायल के विरूद्ध अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश किये जाने पर नायब तहसीलदार,मेड़ता

कलक्टर

द्वारा प्रकरण को खसरा नम्बर 1252 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि आवंटन योग्य मानते हुये सलाहकार समिति को प्रेषित की हैं।

नियम 7 के तहत भूमि आवंटन के प्रकरण में उपरोक्त नियमों के नियम 5,नियम 6, नियम 8,नियम 11 की पालना होनी जरूरी हैं,परन्तु इस प्रकरण में इन नियमों की कोई पालना नहीं की गई हैं। जहां तक इन नियमों की पात्रता का प्रश्न हैं नियम 11(1) में स्पष्ट उल्लेख हैं कि भूमि केवल किसी भूमिहीन व्यक्ति को और जिस सीमा तक वह भूमिहीन हैं,उस सीमा तक आवंटित की जावेगी। इस प्रकरण में न तो इन नियमों के तहत कोई आवेदन प्राप्त किये गये हैं एवं न ही गैर सायल द्वारा पूर्व में कितनी भूमि धारित की जा रही हैं एवं उसकी पारिवारिक भूमि में नोशनल शेयर से कितनी भूमि धारित की जा रही हैं अंकित नहीं किया हैं। नायब तहसीलदार,मेड़ता की रिपोर्ट अनुसार गैर सायल के पास भूमि 16 बीघा 13 बिस्वा खातेदारी भूमि होना अंकन किया हैं। इस प्रार्थना की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी नकल सम्वत 2031–2034 खाता संख्या 81 ग्राम भीलावास में हरचन्द पुत्र लादूराम के 40 बीघा 1 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज हैं तथा इसी प्रकार ग्राम गोटन के खाता संख्या 453 ग्राम गोटन में 67 बीघा 13 बिस्वा भूमि हरचन्द पुत्र लादूराम के नाम से जो गैर सायल के पिता के नाम से दर्ज हैं तथा गैर सायल रामदेव पुत्र हरचन्द के खाता संख्या 350 में 16 बीघा 03 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त राजस्व रेकार्ड के अनुसार गैर सायल को भूमिहीन की परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता हैं। तथा इन नियमों के तहत गैर सायल भूमि आवंटन का पात्र नहीं हैं।

(2)– इस प्रकरण में नियम 19 के तहत परिभाषित किये जाने पर निम्न स्थिति स्पष्ट होती हैं। गैर सायल द्वारा इन नियमों के तहत न तो आवेदन–पत्र सक्षम प्राधिकारी को पेश किया हैं एवं नही इन नियमों के तहत विधिक आवंटन किया गया हैं। नियम 19(3) में यह परिभाषित हैं कि ऐसे आसामी द्वारा पहले से ही धारित भूमि का कुल क्षेत्रफल आवेदित भूमि के छोटे टुकड़े अथवा खण्ड के क्षेत्रफल को मिलाकर ऐसे खातेदार आसामी के लिये जो अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। जबकि गैर सायल के पास उसके स्वयं के खातेदारी में 16 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज थी तथा गैर सायल के पिता के पास 107 बीघा 14 बिस्वा खातेदारी में दर्ज थी,इसलिए गैर सायल के पास नियम 19(3) में परिभाषित आसामी से ज्यादा भूमि पूर्व से होने से वह इन नियमों के तहत भी आवंटन का पात्र नहीं था। तथा अप्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये जवाब एवं इस प्रकरण में आवंटन प्रकिया दोनों विरोधाभापी हैं। क्योंकि जवाब की मद संख्या 13 में यह अंकित किया हैं कि "अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जो नियमन हुआ हैं,उक्त नियमन की वास्तविक स्थिति यह हैं कि गत खसरा नं. 1252 का कुल क्षेत्रफल 2 बीघा 2 बिस्वा था। चूंकि,उक्त भूमि दो भागों में विभाजित होकर रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि गत खसरा नम्बर 1283 जो अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी कब्जे काश्त का हैं,के शामिल थी तथा शेष रकबा 1 बीघा गत खसरा नं. 1253 जो श्री किशोरसिंह के खातेदारी कब्जे काश्त में हैं,मे शामिल थी। चूंकि,गत खसरा नं. 1283 के कुल रकबे में उक्त गत खसरा नं. 1252 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि सम्मिलित होनी चाहिए थी,परंतु राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूलवश एवं हुई सद्भाविक त्रुटि के कारण उक्त भूमि गत खसरा नं. 1283 के कुल रकबे में शामिल नहीं की जा सकी,परंतु कब्जा काश्त इसी खसरा नं. 1283 के तत्कालीन खातेदारों का उक्त नियमन की गई भूमि पर रहता चला आ रहा था,चूंकि उक्त रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थी संख्या. 1 को दी जानी थी,इसलिए उक्त खातेदारी अप्रार्थी सं.1 को दिए जाने के लिए उक्त नियमों के तहत नियमन किया गया हैं। सच्चे अर्थों में उक्त नियमन केवल मात्र खसरा नं. 1283 के कुल रकबे में उक्त गत खसरा नं. 1252 का रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण से नियमन की कार्यवाही करके अप्रार्थी सं.1 को खातेदारी अधिकार दिए गए थे।" इस जवाब के अनुसार आवंटी का खसरा नम्बर 1252 का कब्जा नहीं रहते हुवे कब्जा काश्त सम्वत् 2017 से मानते हुवे तहसीलदार,मेड़ता द्वारा प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति को प्रेषित किया गया हैं,जो कार्यवाही विधि विरूद्व की गई हैं।

3– इस प्रकरण की नियम 20 के तहत समीक्षा करने पर यह स्थिति प्रकट होती हैं कि इन नियमो के तहत गैर सायल नियम 3(ख) के अनुसार भूमिहीन कृषक होना चाहिऐ था परन्तु गैर सायल भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता हैं प्रथम में तो पत्रावली में बहस के समय उपलब्ध करवायी गयी विकास अधिकारी मकराना के पत्र की फोटो प्रति के अनुसार श्री रामदेव अध्यापक पद पर पदस्थापित था जो नियम 3(ख)(क) के अनुसार भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता हैं। नियम 3(ख)(क) इस प्रकार परिभाषित हैं–"कोई सरकारी कर्मचारी या वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संस्थान के कर्मचारी उसकी पत्नी और उसके उपर निर्भर बच्चे।" क्योंकि गैर सायल स्वयं सरकारी कर्मचारी होने से भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता हैं तथा इन नियमों के तहत पश्चातवर्ती अतिकमी को ही भूमि नियमन का प्रावधान हैं। गैर सायल पश्चातवर्ती

कलक्टर नागौर

अतिक्रम होना पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से साबित नहीं हैं मौटे तौर पर गैर सायल के विरूद्व एक वर्ष में ही अतिक्रमी की रिपोर्ट दर्ज हुई हैं एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 में विशेष कॉलम में रामदेव हरचन्द रकबा 1 बीघा02 बिस्वा दर्ज हैं। इस प्रकार गैर सायल का सम्वत् 2017 से कब्जा होना प्रकट जरूर दफा 91 एल.आर.एक्ट. के प्रकरण के जबाब में पेश किया गया परन्तु राजस्व रेकार्ड अनुसार कब्जा सम्वत् 2017 से दर्ज नहीं हैं,इसलिए गैर सायल इस प्रकरण में नियमन का पात्र नहीं था। उपरोक्त बिन्दू संख्या 1 में दर्ज भूमि अनुसार गैर सायल भूमिहीन भी नहीं था । इन नियमों के तहत भूमिहीन कृषक को 15 बीघा भूमि धारित भूमि सहित आवंटन का प्रावधान हैं,जबकि गैर सायल स्वयं के खाते में 16 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज हैं तथा उनके पिता से प्राप्त भूमि इससे अलग हैं,इसलिए गैर सायल भूमिहीन कृषक नहीं होने से इन नियमों के तहत भी नियमन/आवंटन का पात्र नहीं हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान वकील गैर सायल का मुख्य कथन यह हैं कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 101 में कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया हैं तथा इसी धारा में आवंटन संबंधी नियम बनाये गये हैं। ऐसी स्थिति में धारा 101 के तहत बने नियमों में कोई आवंटन हुआ हैं,तो उसको चुनौती केवल मात्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट. के तहत ही दी जा सकती हैं अन्यथा नहीं? इस बिन्दू के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार हैं कि नियम 20(2) में यह स्पष्ट उल्लेख हैं कि " जहां नियमन धोखे से या मिथ्या अभ्यावेदन के या नियम विरूद्व एस.डी.ओ. या तहसीलदार द्वारा किया जाना जिला कलेक्टर के स्वयं के ध्यान में आवे या किसी के आवेदन–पत्र से पता चले तो जिला कलेक्टर को इसे निरस्त करने का अधिकार होगा।" प्रस्तुत प्रकरण में भी स्थिति इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाकर अपने पक्ष में नियमन करवाया गया हैं तथा नायब तहसीलदार,मेड़ता द्वारा भी प्रकरण के पूर्ण तथ्यों को छुपाया जाकर प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश किया गया हैं तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण जांच किये बिना भी आवेदक भूमिहीन कृषक नहीं होते हुवे भी उसे यह भूमि आवंटन/नियमन की हैं,जो नियमों के विपरित हैं। इसलिए प्रकरण में अप्रार्थी के इन कथनों को कोई बल नहीं मिलता हैं।

विद्वान वकील गैर सायल का प्रस्तुत प्रकरण में यह भी एतराज रहा हैं कि इस आवंटन को 46 वर्ष बाद चुनौती दी गई जो ऐसी चुनौती खारिज योग्य हैं तथा यह भी कथन किया कि सरकारी कर्मचारी के हक में भूमि आवंटन की जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान वकील गैर सायल द्वारा आरआडी 2013 पेज 456 की नजीर पेश की है तथा यह कथन किया हैं कि प्रकरण में सरकारी कर्मचारी के हक में हुए अलॉटमेन्ट जो 40 साल बाद चुनौती दी गई। उक्त अलॉटमेन्ट को सही माना तथा ऐसी चुनौती को खारिज किया गया। इसलिए इस प्रकरण को भी खारिज किया जावें। विद्वान वकील गैर सायल द्वारा पेश किये गये माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टन्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता हैं क्योंकि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण में आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपाई गई तथा आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की गई थी। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाते हुवे आवंटन करवाया हैं एवं न सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त की गई हैं।

विद्वान वकील गैर सायल द्वारा इस प्रकरण में ज्यादातर जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये हैं उनमें काफी वर्षो बाद आवंटन को चुनौती दी गई इसलिए उन आवंटनों को चुनौती देना गलत माना हैं। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन कार्यवाही को लगभग 46 वर्ष बाद चुनौती दी गई परन्तु इस प्रकरण में आवंटी को पात्रता नहीं होते हुवे भी भूमि आवंटन की गई हैं जो नियम 20(2) के तहत विधि विरूद्व हैं। इसलिए विद्वान वकील गैर सायल द्वारा पेश किये गये माननीय न्यायालय के निर्णयों की नजीरे इस प्रकरण में लागू नहीं होती हैं। विद्वान वकील गैर सायल द्वारा डीएनजे 2007 पार्ट 1 राजस्थान पेज 231 पेश कर यह कथन किया हैं कि पक्षकार अगर एक दूसरे के खातेदारी अधिकारों को विवादित कर रहे तो उसके लिये घोषणा का दावा आ सकता हैं। इस प्रकार से आवंटन निरस्ती का आवेदन–पत्र नहीं लाया जा सकता हैं तथा आरआरडी 1982 पेज 65,पेज 443 एवं पेज 584 एवं आरआरडी 1984 पेज 439 पेश कर यह निवेदन किया है कि प्रकरण में अपील ही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में हमारा मत हैं कि आवंटी का आवंटन विधिक प्रकिया के तहत नहीं हुआ हैं,इसलिए अपील की आवश्यकता नहीं हैं। इस प्रकार के आवेदन–पत्र पर भी ऐसा आवंटन निरस्त किया जा सकता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन सलाकार समिति द्वारा प्रकरण संख्या 576/75 अन्वान सरकार बनाम रामदेव में पारित किया गया आवंटन आदेश विधि विरूद्व होने से तथा विधिक प्रकिया नहीं अपनाये जाने से तथा आवेदक भूमिहीन सद्भावी

कलक्टर नागौर

कृषक नहीं होने से एवं आवंटी द्वारा सक्षम अधिकारी से महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर आवंटन आदेश प्राप्त किया जाना होने से आवंटन आदेश दिनांक 30.05.76 खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार,मेड़ता को निर्णय की प्रति मय असल रेकार्ड के निर्णय अनुसार पालना हेतु भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,नागौर